न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17/2020 **दायर दिनांकः 12/02/2020**

उनवान

1. अरूणा नागर पत्नि श्री हिरा लाल जाति धाकड निवासी अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां हाल मुकाम ए–473 इन्द्रविहार कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज.

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी :–विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक–18/11/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता स0 12 की खसरा स0 168 कुल 1 किता की 1.65 है0 दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबन्दी संवत् 2071–2074 की नकल वादपत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि का खाते दर्ज होते वक्त सहवन से वादीया का नाम उक्त जमाबन्दी में अरूणा नागर के स्थान पर अशोक कुमारी दर्ज कर दिया जबकी उसका सही नाम अरूणा नागर था। वादिया का सही नाम अरूणा नागर है फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादिया का नाम अरूणा नागर ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम अशोक कुमारी है। फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजों में वादिया का नाम अरूणा नागर ही दर्ज है जमाबन्दी में वादिया का नाम अशोक कुमारी दर्ज होने से काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादिया ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने

साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादिया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादिया को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगी जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगी। इस कारण वादिया इस आशय की घोषणा करा पाने की अधिकारी है कि उसका नाम अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर राजस्व रिकार्ड में अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम अशोक कुमारी दर्ज होने एवं वादिया द्वारा प्रतिवादी से अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 30.01.2020 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अअरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हे। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हे। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेः—

(अ) राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर घोषित किया जाकर जमाबन्दी में अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर दर्ज किया जावे विकल्प में निवेदन है कि अशोक कुमारी उर्फ अरूणा नागर दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम अशोक कुमारी के स्थान पर अरूणा नागर घोषित किया जावे।

प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 ग्राम अन्ताना खाता. सं. 12 ख0नं0 168 रकबा 1.65 है0 आराजी अशोककुमारी पत्नि हीरालाल के सहखातेदारी में दर्ज है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड में वादिया का नाम अरूणा नागर दर्ज है। पेपर कटिंग व नाम परिवर्तित करने का शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत अन्ताना के प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2021 के अनुसार अशोक कुमारी व अरूणा नागर दोनों नाम एक ही महिला के है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

<u>—:क्रियात्मक आदेशः—</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के खाता स0 12 की खसरा स0 168 कुल 1 किता की 1.65 है0 में वादिया का नाम अशोककुमारी पत्नि हीरालाल के स्थान पर अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पत्नि हीरालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 17/2020

उनवान

1. अरूणा नागर पत्नि श्री हिरा लाल जाति धाकड निवासी अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां हाल मुकाम ए–473 इन्द्रविहार कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज.।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता स0 12 की खसरा स0 168 कुल 1 किता की 1.65 है0 में वादिया का नाम अशोककुमारी पत्नि हीरालाल के स्थान पर अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पत्नि हीरालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.11.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)